

**अचल संपत्ति विवरणिका वर्ष 2013**

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2013


1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम – कमलेश कुमार सक्सेना 2. वर्तमान धारित पद – मुख्य अभियंता 3. कार्यालय का नाम – मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आईटी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर  
4. वर्तमान वेतन 122815 5. भविष्य निधि क्रमांक – 22016406 6. कर्मचारी संख्या – 82977297

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. भूखंड क्र. 64 हाऊसिंग सोसायटी, नयागांव, जबलपुर	गृह-3749 वर्गफुट (निर्माण 2002)	16,000 वर्गफुट (खरीदा वर्ष 1997-98)	70.00 लाख	श्रीमती नीरा सक्सेना (पत्नि) व्याख्याता, शास. पॉलीटेकनिक कॉलेज, जबलपुर एवं स्वयं	गृह निर्माण ऋण एवं पत्नि/स्वयं की बचत। विक्रेता श्रीमती उषा तिवारी, 958, गोलबाजार, जबलपुर।	नहीं	पत्र क्र. स्था 1431/2007 दिनांक 29.05.07 द्वारा संपत्ति क्रमांक 2 एवं 3 की सूचना तकनीकी संचालनालय, भोपाल को प्राचार्य, शास. पॉलीटेकनिक कॉलेज, जबलपुर द्वारा प्रेषित।
2. भूखंड के.एच. नं 99/2, तह. -नारायणपुर, जबलपुर (वर्ष 2006)	-	0.90 हेक्टेयर	4.00 लाख	श्रीमती नीरा सक्सेना (पत्नि) व्याख्याता, शास. पॉलीटेकनिक कॉलेज, जबलपुर एवं स्वयं	पत्नी की वेतन बचत से, विक्रेता-श्री अरुण कपूर, सीएमएस चर्च कंपाउंड, घमापुर, जबलपुर	नहीं	
3. भूखंड के.एच. नं 67/1-4, तह. -घाना, जबलपुर (वर्ष 2007)	-	0.76 हेक्टेयर	7.00 लाख	श्रीमती नीरा सक्सेना (पत्नि) व्याख्याता, शास. पॉलीटेकनिक कॉलेज, जबलपुर एवं स्वयं	पत्नि की वेतन बचत से, विक्रेता-कोदूलाल, घसीटी बाई, शिवप्रसाद, हरीश कुमार, रामकिशोर, देवकीबाई, राजकुमारी, सीताबाई, मीनाबाई, कोसाबाई, पंचम, भदई सभी निवासी घाना तहसील जबलपुर	नहीं	

हस्ताक्षर --

नाम --

पद --

  
कमलेश कुमार सक्सेना  
मुख्य अभियंता

\* जहां लागू न हो काट दीजिए

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी- मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।